अतिमहत्वपूर्ण

**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)**

क. एफ 27(83)ग्राविवि– 5/जीकेएन/बीएसआरसॉफ्ट/बेसिक दर तुलना/2015–16 जयपुर, दिनांक 04/05/2016

**जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष,**
**जिला दर निर्णायक समिति,**
**जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।**
(अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर,
बीकानेर, गंगानगर एवं उदयपुर को छोड़कर)

विषय :– पंचायत समिति दर अनुसूची में अनुमोदित श्रम, सामग्री व उपकरण की बेसिक दरें असामान्य होने एवं राजकोष को हानि पहुंचाने बाबत्।
प्रसंग :– समसंख्यक पत्र दिनांक 13.04.2016

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2016–17 के लिए विभागीय सॉफ्टवेयर में पंचायत समिति दर अनुसूची (बीएसआर) हेतु अनुमोदित/निर्धारित श्रम/सामग्री/उपकरणों की बेसिक दरों की अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जिलेवार तुलनात्मक समीक्षा करने पर अधिकांश आईटमों की दरों में काफी अन्तर व असामान्य होने की स्थिति में आपके स्तर से पुनः व्यक्तिशः समीक्षा कर सुसंगत दरें दिनांक 30.04.2016 तक निर्धारित/अनुमोदित एवं बीएसआर सॉफ्ट में अपडेट/संशोधन करने आदि हेतु प्रासांगिक पत्र द्वारा अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में पुनः समीक्षा (02.05.2016) करने पर पाया गया कि मात्र 8 जिलों (अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर एवं उदयपुर) द्वारा ही पुनः समीक्षा उपरान्त सॉफ्टवेयर में कुछ आईटमों की दरों में संशोधन किया है। अधिकांश जिलों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना बताया है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि काफी समय अन्तराल पर भी जिला दर निर्धारण समिति द्वारा पुनः समीक्षा एवं बेसिक दरों के सूसंगत निर्धारण को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

**आपसे पुनः अनुरोध है कि सॉफ्टवेयर के उक्त बिन्दुओं अनुसार कार्यवाही कर की दिनांक 10.05.2016 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें। यदि उपरोक्त तिथि तक भी आपके द्वारा असामान्य दरों को बाजार दरों/सुसंगत दरों के अनुकूल नहीं किया गया तो आप राजकोष को हानि पहुंचाने के लिये उत्तरदायी माने जायेंगे।**

4/5/16

**(राजीव सिंह ठाकुर)**
**शासन सचिव, ग्रावि**